उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन", 14-अशोक मार्ग
लखनऊ

अनुवाद अधिकारी
(परि०अ० 03 अनुभाग)

संख्या- 130 -रेगुलेशन/एस. ई. बी./87-/87

9.9.1987.
दिनांक-

विज्ञप्ति
विविध

इलैक्ट्रिसिटी [सप्लाई] एक्ट, 1948 की धारा 79 [सी] के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद् द्वारा परिषदीय कर्मचारियों के शासन व सार्वजनिक उपक्रमों में संविलियन की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्न विनियम बनाते हैं,

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सेवकों का [शासन व सार्वजनिक उपक्रमों में] संविलियन विनियम, 1987.

1- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

[i] ये विनियम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के सेवकों का [शासन व सार्वजनिक उपक्रमों में] संविलियन विनियम, 1987 कहलायेंगे ।

[ii] विनियम 5 [1] के परन्तुक को छोड़ कर ये विनियम 1 दिसम्बर 1984 से प्रवृत्त होंगे, विनियम 5[1] का परन्तुक इन विनियमों की विज्ञप्ति के दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

2- परिभाषायें

जब तक विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:-

[क] "संविलीन व्यक्ति" से तात्पर्य परिषद् के ऐसे सेवक से है जिसका विनियम 5 के अन्तर्गत शासन या किसी उपक्रम की सेवा में, संविलियन परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो ।

[ख] "प्रतिनियुक्ति" से तात्पर्य परिषद् के किसी सेवक की सेवाओं को शासन या किसी उपक्रम में वाहय सेवा पर देने से है ।

[ग] "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से है ।

[घ] "परिषद् का सेवक" का तात्पर्य परिषद् के अधीन पेंशनदायी अधिष्ठान में किसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ।

[ङ] "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार से है ।

[च] "वैज्ञानिक कर्मचारी" का तात्पर्य परिषद् के ऐसे कर्मचारी से है जो वैज्ञानिक अर्हतायें रखता हो तथा किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जिस के कर्तव्य और कृत्य परिषद् की राय में वैज्ञानिक प्रकृति के हों ।

(छ) "उपक्रम" का तात्पर्य है:-

(एक) उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन निगमित सांविधिक निकाय से है ।

(दो) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत किसी सरकारी कम्पनी से है ।

(तीन) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 4 के खण्ड (25) के अर्थान्तर्गत किसी स्थानीय प्राधिकारी से है ।

(चार) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी वैज्ञानिक संगठन से है जो पूर्णतः या अंशतः, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हो ।

3- प्रतिनियुक्ति के लिये आयु सीमा

किसी भी परिषद् के सेवक को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4- प्रतिनियुक्ति के लिये समय सीमा

किसी भी परिषद् के सेवक को साधारणतया पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति नही दी जायेगी ।

5- सरकार या उपक्रम में संविलियन

09-09-87 से → प्रभावी

(1) परिषद् के किसी सेवक को उस उपक्रम या सरकार की सेवा में, जिसमें वह प्रतिनियुक्ति पर हो, संविलीन होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि --

(एक) वह अपनी प्रतिनियुक्ति के आरम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व या 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व, जो भी पहले हो, परिषद् को उपक्रम या सरकार में अपने संविलियन के लिये आवेदन करे और संबन्धित उपक्रम या सरकार भी ऐसी अवधि के भीतर परिषद् से उसके संविलियन के लिये प्रस्ताव करे,

(दो) परिषद् लोकहित में ऐसे संविलियन के लिये सहमत हो,

परन्तु कोई ऐसा परिषद् का सेवक जो इन विनियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक को किसी उपक्रम या सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हो, ऐसे आरम्भ के छः मास के भीतर या खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो भी बाद में समाप्त होती है, अपने संविलियन के लिये आवेदन कर सकता है और उपक्रम या सरकार भी उसके संविलियन के लिये प्रस्ताव कर सकते हैं ।

(2) → (2) परिषद् किसी ऐसे संविलियन पर सहमत न होगा:-

(क) चतुर्थ श्रेणी के किसी परिषदीय सेवक का उपक्रम या सरकार में किसी पद पर ।

(ख) ऐसे परिषदीय सेवक का जो परिषद के अधीन किसी लिपिक वर्गीय पद पर हो, उपक्रम या सरकार में किसी लिपिक वर्गीय पद पर ।

(ग) जब तक कि परिषद के सेवक का उपक्रम या सरकार में किसी समकक्ष पद पर या उपक्रम या सरकार में किसी ऐसे उच्च पद पर जिस पर वह कम से कम 3 वर्ष प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, संविलीन न किया जाना हो ।

(घ) जब तक कि उस पद के जिस पर उसे संविलीन किया जाना है, वेतनमान में उसका वेतन उस प्रक्रम पर निर्धारित न किया जाये जो मूल विभाग में उसके पद के वेतनमान में उसे अनुमन्य वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते को जोड़ कर आये और उसे उसका मूल वेतन माना जाय ।

परन्तु ---

(एक) यदि उपक्रम या सरकार के वेतनमान में ऐसा कोई प्रक्रम न हो तो उसका वेतन उस प्रक्रम के ठीक नीचे के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर की कमी को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा जिसे भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में आयोजित किया जायेगा ।

(दो) यदि मूल विभाग के वेतनमान में अनुमन्य वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग उपक्रम या सरकार के वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उसका वेतन ऐसे न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसा योग उपक्रम या सरकार के वेतनमान की अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उसका वेतन अधिकतम पर निर्धारित किया जायेगा और धनराशि में अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा ।

टिप्पणी :-

इन विनियमों के प्रयोजनार्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इन विनियमों के परिशिष्ट में वर्णित किसी पद पर हो या किसी अन्य ऐसे पद पर हो जिसे परिषद चतुर्थ श्रेणी का पद निर्दिष्ट करें ।

(तीन) ऐसा संविलियन उस दिनांक के पूर्व के किसी दिनांक से स्वीकार नहीं किया जायेगा जिस दिनांक को उपक्रम या सरकार

परिषदीय सेवक को अपनी सेवा में संविलीन करने की अपनी सहमति पहली बार सूचित करे ।

6- संविलियन का प्रभाव:- कोई परिषदीय सेवक, जिसका किसी उपक्रम या सरकार में संविलियन परिषद द्वारा स्वीकार किया गया हो, (समय -समय पर यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति) विनियम, 1975, में किसी बात के होते हुये भी अपने संविलियन के दिनांक से परिषद की सेवा से निवृत्त माना जायेगा और उस दिनांक से उसका अपने मूल विभाग में धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा ।

विनियम 7- महत्वपूर्ण

7- सेवा निवृत्ति लाभ :- कोई ऐसा परिषद का सेवक जिसे विनियम 6 के अधीन सेवा निवृत्त समझा जाय, परिषद के अधीन पेन्शन के लिये अपनी अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुपातिक पेंशन के साथ मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक का हकदार होगा और उसका भुगतान पुरन्त आरम्भ कर दिया जायेगा । यदि अर्हकारी सेवा दस वर्ष से कम हो तो उसे पेन्शन के बजाय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के साथ सेवा आनुतोषिक दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-परिषदीय सेवक अपने सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात प्रवृत्त होने वाले पेन्शन नियमों में किसी उदारता के लाभ का दावा करने का हकदार नही होगा ।

8- अन्यत्र सेवायोजन:- यदि उपक्रम या सरकार में किसी संविलीन व्यक्ति की सेवायें [illegible] सरकार की या संविलीन व्यक्ति की प्रेरणा पर किसी भी रीति से समाप्त हो जाये और यदि वह परिषद [illegible] पूर्वलिखित अनुज्ञा के बिना परिषदीय सेवा से अपनी [illegible] के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी वाणिज्यिक संस्था में सेवा [illegible] है तो वह पेंशन से वंचित हो जायगा ।

9- [illegible] पेंशन:-

(1) तत्समय लागू सुसंगत विनियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य होगा जो इन विनियमों के अधीन परिषद से पेंशन के हकदार हैं और उन कर्मचारियों के परिवारों को अनुमन्य नही होगा जो केवल सेवा आनुतोषिक के हकदार हैं, अर्थात जो परिषद के अधीन 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा करने के पूर्व उपक्रम या सरकार में संविलीन कर लिये गये हैं ।

(2) पारिवारिक पेंशन परिषद से केवल उसी दशा में अनुमन्य होगी जबकि उपक्रम या सरकार से कोई पारिवारिक पेंशन अनुमन्य न हो ।

10- सेवानिवृत्ति के पश्चात असाधरण पेंशन और यात्रा भत्ता:- विनियम 6 में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति के पश्चात परिषद किसी भी असाधरण पेंशन या यात्रा भत्ता के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

11- पेंशन की राशिकरण :- संविलीन व्यक्ति अपनी पेंशन के अंश का राशिकरण, परिषद के कर्मचारियों पर लागू पेंशन का राशिकरण सम्बन्धी आदेशों के उपबन्धों के अनुसार कराने का हकदार होगा ।

12- उपार्जित छुट्टी की अन्तरण :- वह उपक्रम या सरकार, जिसमें कर्मचारी संविलीन किया गया है, परिषद की सेवा से निवृत्ति के समय परिषदीय सेवक के खाते में जमा उपार्जित छुट्टी व निजी कार्य पर छुट्टी के सम्बन्ध में दायित्व वहन करेगा और उसके बदले में परिषद, यथा स्थिति उपक्रम या सरकार को एक मुश्त धनराशि का भुगतान करेगा जो परिषद के सेवक को ऐसे उपक्रम या सरकार में संविलियन के दिनांक को देय छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन के बराबर हो ।

13- भविष्यनिधि का अन्तरण:- किसी संविलीन व्यक्ति के भविष्य निधि लेखा में ब्याज सहित जमा अभिदान की धनराशि का भुगतान उसे परिषद की सेवा से उसके निवृत्त होने के समय सुसंगत विनियमों के अनुसार किया जा सकता है किन्तु, यदि वह ऐसा चाहे तो उक्त धनराशि का अन्तरण उपक्रम या सरकार के अधीन उसके नये भविष्य निधि लेखा में किया जा सकता है, बशर्ते कि सम्बन्धित उपक्रम या सरकार भी ऐसे अन्तरण के लिये सहमत हो । भविष्य निधि के शेष का एक बार इस प्रकार अन्तरण हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति परिषद के लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियन्त्रित न होकर सम्बन्धित उपक्रम या सरकार में लागू भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होगा ।

14- वैज्ञानिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में परिषद के अधीन की गई सेवा का लाभ :-

(1) विनियम 7 के उपबन्धों के होते हुये भी परिषद केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्वायत्त वैज्ञानिक संगठन में, जहाँ उसके कर्मचारियों के लिये पेंशन संबन्धी लाभ हो, संविलीन किसी वैज्ञानिक कर्मचारी के सम्बन्ध में पेंशन संबन्धी दायित्व का निर्वहन कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर या ऐसे संगठन की सेवा से निवृत्ति के समय ऐसे संगठन को सेवा आनुतोषिक या, यथा स्थिति मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के अंश के साथ कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर उसके पेंशन के अंश के पूंजीकृत मूल्य का भुगतान करके कर सकता है ।

(2) जब तक संविलीन व्यक्ति ने संगठन में संविलियन के लिये अपने आवेदन पत्र के साथ, स्वायत्त संगठन द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित, इस आशय का लिखित विकल्प भी न दे दिया हो कि विनियम 7 के अधीन पेंशन प्राप्त करने के बजाय वह उपविनियम (1) के अधीन लाभ के लिये विकल्प करता है, उपविनियम (1) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

13। यदि कोई कर्मचारी विनियम 8 के अधीन पेंशन संबन्धी लाभ से वंचित हो जाता है तो संगठन को पेंशन या अनुतोषिक में परिषद के अंश के भुगतान का प्रश्न नहीं उठेगा ।

परिषद की आज्ञा से,
भुवन भूषण शर्मा
। भुवन भूषण शर्मा ।
सदस्य सचिव

वेतनमान-380-451

क्रम संख्या	पद का नाम
1-	चपरासी/रनर
2-	चौकीदार
3-	मजदूर/कुली/बेलदार/हेल्पर
4-	फील्ड हास्टल अटेन्डेन्ट
5-	क्लीनर/बस परिचारक
6-	वेहकिल सर्विसमैन
7-	लिफ्टमैन/अटेन्डेन्ट
8-	ह[illegible] ब्वाय/वार्ड आया
9-	ऐन्टी मलेरिया जमादार
10-	मिडवाइफ/दायी
11-	चिकित्सालय कहार
12-	नर्सिंग अर्दली
13-	महिला अटेंडेंट
14-	[illegible]स्ट ऐडर
15-	वैद्य
16-	टेलीफोन अटेंडेंट
[illegible]-	कार्यालय चौकीदार
[illegible]-	धोबी
19-	लै[illegible] ब्वाय/लैब अटेंडेंट
20-	[illegible]डन चौकीदार
21-	वाटरमैन
22-	मेल [illegible]लाअर
23-	टोकन कलेक्टर
24-	ट्रालीमैन ।

25-	मेट सर्वेन्ट
26-	सबस्टेशन क्लीनर
27-	वेमैन । तौलने वाला ।
28-	[illegible]
29-	बिल चपरासी
30-	मेसेन्जर
31-	चौकीदार-कम-माली
32-	स्वीपर ।सफाईवाला।
33-	रसोइया
34-	अंशकालिक स्वीपर
35-	बेयरर
36-	चौकीदार-कम-रसोइया
37-	वाटरमैन-कम-माली
38-	भिश्ती
39-	[illegible]लची
40-	भडांर कुली
41-	फराश
42-	बुक लिफ्टर
43-	बोर्ड रूम अटेंडेंट

वेतनमान -रु० 300-495

क्रम संख्या	पद का नाम
1-	पेट्रोलमैन
[illegible]	फ्यूजमैन
3-	कुशल कुली
4-	[illegible]
5-	हैमरमैन
6-	आयलर/ग्रीसर
7-	क्लीनर
8-	प्लम्बर
9-	जमादार
10-	दफ्तरी
11-	दफादार
12-	माली
13-	फेरोप्रिंटर

14- हेडगार्ड [मुख्य रक्षक]
15- सीक्योरिटी गार्ड [सुरक्षा गार्ड]
16- भंडार जमादार
17- भंडार मिस्त्री
18- वैक्सीनेटर
19- सैम्पलर
20- प्वाइंटसमैन
21- शन्टिंग पोर्टर
22- अटेंडेंट श्रेणी-II
23- अपहोल्सटर
24- हेड चौकीदार [मुख्य चौकीदार]
25- कार्ड राइटर
26- फर्स्ट ऐडर
27- [illegible]
28- कोलमैन
29- वेब्रिज अटेंडेन्ट
30- पम्प अटेंडेंट/टयूबवेल अटेंडेंट
31- स्वीपर मेट
32- ट्रेड अप्रेन्टिस
33- बैटरी मैन
34- हेड भंडारी [मुख्य भंडारी]
35- ब्वाइलर/वाटरमैन
36- डिस्पैच राइडर
37- बन्डल लिफटर
38- [illegible]न्टर पैकर
39- हेड स्वीपर
40- ग्राइन्डर
41- कम्प्रेसर अटेंडेंट
42- लाइन मजदूर
43- स्पेशल पियन [विशेष चपरासी]
44- स्वीचमैन
45- बैंक पियन [बैंक चपरासी]
46- स्ट्रीटलाइट अटेंडेंट
47- असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन
48- लाइनमैन [illegible]

[illegible]

49- कुली (ए)

50- असिस्टेंट ओ०ई०डी०

51- असिस्टेंट फिटर

52- कम्पोनेन्ट अटेंडेंट

53- मैकेनिक

54- [illegible]क

55- [illegible]

56- ड्रे[illegible]